P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation
RNI No.UPBIL/2016/67980
Vol-I* Issue-VI*September - 2016

पोट्री उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिक : कार्यकारी दशाऐं एवं समस्याये

भूपेन्द्र कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
वी0 वी0 पी0 जी0 कॉलेज,
शामली

सारांश

बाल श्रम का उपयोग सामान्यतः बुरा नही है परन्तु जिन शर्तो एवं परिस्थितियो में उन्हे कार्य पर लगाया जाता है वह एक सामाजिक बुराई है आज के बालक कल हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक बनेगे, अतः बाल श्रम के होते सबल एवं सम्पन्न राश्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बाल श्रम निश्चित रूप से वर्तमान समय में मानवता के नाम पर एक अभिशाप है, बाल श्रम का जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामाजिक–आर्थिक विकास की विफलता है।वास्तव में बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि आम जनमानस को भी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा ।

मुख्य शब्द :बाल श्रम, बाल श्रमिक ,मजदूरी ,कार्यकारी दशायें ,शोषण ,उत्पीड़न, निर्धनता, अशिक्षा, सर्वांगीण विकास,समाज।

प्रस्तावना

बाल श्रम तथा बाल श्रमिक शब्दो की अवधारणाओ को सामान्यतः दो प्रकार से समझा जा सकता है ,

1. आर्थिक व्यवसाय के रूप में।
2. एक सामाजिक बुराई के रूप में बचपन में काम करना ।

ऐसा श्रम जो 5 से 14 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के बालक/ बालिकाओ से लिया जाता है बाल श्रम कहलाता है एवं ऐसा बालक/ बालिका बाल श्रमिक। संयुक्त राष्ट्र संघ के अुनसार 18 से कम आयु का श्रमिक बाल श्रमिक है अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यह उम्र 15 वर्श रखी गई है। इंग्लैण्ड एवं यूरोपीय देशो में 13 वर्ष से कम आयु के बालक तथा अमेरिका में 12 वर्ष से कम आयु के श्रमिक बाल श्रमिक की श्रेणी में रखे गये है। समाज के लिए यह अच्छी बात है कि समाज का कोई सदस्य बेकार न बैठे, प्रत्येक समाज के लिए सर्वोत्तम योगदान दे परन्तु बाल श्रमिको को जिस तरह से कार्य पर लगाकर उनका शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है, उन्हे व्यक्तिव विकास के लिए आवश्यक सुविधाओ से दूर रखा जाता है जिस रूप मे उनके लिए नैतिक पतन का पथ प्रशस्त किया जाता है वह वास्वत में एक भयंकर सामाजिक बुराई है। वर्तमान समय में बाल श्रम विकसित एवं विकासशील देशो की समस्या है अर्न्तराष्ट्रीय संगठनो के प्रयास के बावजूद भी अपने विकराल घिनौने रूप में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में अपनी जड़े जमाये हुये है भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के विकसित देशो मे भी बाल श्रम की घटनाओ में वृद्धि होती जा रही है।

बाल श्रमिक भारत के विभिन्न राज्यो में विभिन्न उद्योगो मे कार्यरत है । तमिलनाडु के पटाखो तथा माचिस बनाने वाली औद्योगिक इकाइयो में हजारो बाल श्रमिक कार्यरत है। फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग में, बरेली के लकड़ी उद्योग में, भदोही (मिर्जापुर) के कालीन उद्योग में, मुरादाबाद के पीतल उद्योग में, वाराणसी के साड़ी उद्योग में, लखनऊ के चिकन उद्योग में, आगरा, कानपुर के जूते उद्योग में, फरूर्खाबाद तथा कन्नौज के बीड़ी उद्योग में, कासगंज के हथकरघा उद्योग में लाखों बाल श्रमिक कार्यरत है। गुजरात के डायमंड पोलिशिंग उद्योग में, कीमती पत्थरों व नगीनो की कटाई उद्योग राजस्थान में, स्लेट उद्योग मदसौर (म0 प्र0) तथा स्लेट उद्योग मराकपुर (आन्ध्र प्रदेश में) बड़ी संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत है। इसके अलावा चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, होजरी उद्योग, चाय बगान आदि में, बाल श्रमिक कार्यरत है मैले कुचैले कपड़ो के नाम पर सिर्फ चीथड़ो से तन को ढाके ये बाल श्रमिक अपने शोषण की कहानी बिना कुछ कहे बयाँ कर जाते है इन्हे भविष्य की चिन्ता नहीं रहती है दो वक्त की रोटी ही इनके जीवन का उद्देश्य होती है बाल श्रमिक कालीन उद्योग

P: ISSN NO.: 2394-0344
Remarking An Analisation
E: ISSN NO.: 2455-0817 RNI No.UPBIL/2016/67980 Vol-I* Issue-VI*September - 2016

से लेकर ईट भट्टो, रेस्टोरेन्ट, घरेलू नौकर, दुकानो पर नौकरी तथा कूड़ा कचरा बीनना, बीड़ी पटाखा उद्योग आदि में अस्वास्थ्यकर स्थितियो में लगातार कार्य कर रहे है, यूनीसैफ द्वारा किए गये एक अध्ययन(एक लाख बच्चो का) में पाया गया कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गलीचे उद्योग में काम करने वाले 71 प्रतिशत बच्चे भागने की कोशिश में पीटे जाते है तथा अमानवीय यातनाओ को सहते है अधिकांश बच्चे टी0 बी0 खून की कमी और आखो की बीमार से पीड़ित है भारत में करोड़ो बच्चे बाल श्रमिक है जो चाय की दुकानो, मोटर साईकिल ,कार तथा ट्रैक्टरो की मरम्मत, ढाबो, भवन निर्माण आदि कार्यो में लगे हुये है जिसके बदले मे अल्प वेतन देकर उनका उत्पीड़न व शोषण किया जाता है इन बाल श्रमिको से बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन 14–14 घण्टे कार्य कराया जाता है यूनेसेफ की भारत मे सर्वेक्षण के उपरान्त प्रकाशित वार्षिक रिर्पोट से इस समस्या के सामाजिक पहलू तथा इसके प्रमुख कारण नजर आते है, समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, निर्धनता, परिवार के आकार का बड़ा होना, आय की अपेक्षा परिवार का व्यय अधिक होना रोजगार के साधनो का अभाव, अशिक्षा, दैनिक आवश्यकताओ की पूर्ति न कर पाने को कारण बच्चो को स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी पर भेजे जाने की मजबूरी आदि की एक स्पष्ट छवि हमारी नजरो के सामने बनती है बाल श्रमिको में अधिंकाश ग्रामीण क्षेत्रो से सम्बन्धित है जिन्दगी के गर्म थपेड़ो ने उनकी मासूमियत व अल्हड़ता को जलाकर उनकी किस्मत मे बेबसी की लकीरे खीच दी है। करोड़ो बच्चे इस खतरनाक परिस्थितियो में खुद को झोंके हुए है ये गुलामी से बदतर हालात से जूझ रहे है और बेहद जोखिम वाले कार्य करने को विवश है उपर्युक्त तथ्यो के आलोक मे यह स्पष्ट है कि बाल श्रम बच्चो के लिए ही नहीं, अपितु समाज एवं राष्ट्र के सर्वागीण विकास के पथ में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करता है।

सदर्भित साहित्य की समीक्षा

डा0 खाटू0 के0 के0 (वर्किंग चिन्ड्रन इन इण्डिया 1983) श्री वास्तव एन. पी. ने आगरा शहर के (चमड़ा उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की समस्या 1989 पृ0 65) प्रो0 शरद नील के0 (दि लीगल, इकोनोमिक एण्ड सोशल स्टेटस आफ इण्डियन चाइल्ड 1988) श्री गोरबिनो (दि0 ह्यमून इकोलाजी आफ चाइल्ड मालट्रीटमेंट 1977 पृ0 34) प्रो0 राम आहूजा (सामाजिक समस्या 1994 पृ0 219) ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में गलीचा उद्योग मे एक लाख बाल श्रमिक कार्यरत है जिनमे 60 प्रतिशत दस वर्ष से कम आयु के है 36 प्रतिशत बच्चे घरेलू कार्यो, केन्टीन, रेस्तरा और कूड़ा उठाने के कार्यो मे संलग्न है ये आर्थिक तंगी के कारण मजदूरी करने को विवश है इस अभिशाप से बच्चे विभिन्न बीमारियों जैसे खून की कमी, क्षय रोग के अतिरिक्त अनेको सामाजिक बुराईयो के शिकार अज्ञानता वश हो जाते है जिससे वे अलगाव अनुभव करते है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र निम्न उद्देश्य की पूर्ति एवं प्राप्ति के लिए सम्पादित किया जा रहा है

1. बाल श्रमिकों की सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना।
2. बाल श्रमिकों की कार्यकारी दशाओं का अध्ययन करना।
3. बाल श्रम हेतु उत्तरदायी कारणों की जानकारी प्राप्त करना ।
4. बाल श्रम समस्या–समाधान हेतु वैधानिक तथा व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

परीक्षणार्थ परिकलपनाएं

अध्ययन के अंतराल में निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण परीक्षाणार्थ किया गया है।

1. परिवार मे व्याप्त निर्धनता बाल श्रम हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक है।
2. बाल श्रम बालकों की शिक्षा में बाधक है।
3. परिजन बालकों को स्कूल के बजाय काम पर भेजना पंसद करते है।
4. उद्योगों के मालिकों तथा ठेकेदारी प्रथा के कारण बाल श्रमिकों का खुला शोषण व उत्पीड़न होता है।
5. अधिकांश बाल श्रमिक प्रदूषित पर्यावरण में काम करने के कारण विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते है।
6. बाल श्रम व्यक्तिगत विघटन को जन्म देकर व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास में बाधक है।
7. बाल श्रम दबे, छिपे लिये जा रहा है जिससे बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम निरर्थक साबित हो रहे है।

अध्ययन क्षेत्र एवं पद्धतिशास्त्र

सर्वेक्षक ने बाल श्रमिको की कार्यकारी दशाओ तथा समस्याओ का अध्ययन करने के लिए उ0 प्र0 के बुलन्दशहर जनपद के पोट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध खुर्जा शहर को चुना। सरकारी दावो के विपरित यहाँ बाल श्रमिक मिट्टी कूटना, बर्तन बनाना, भटिट्यो पर कार्य, पेटिंग, कटिंग और पैकिग आदि कार्यो मे बड़ी संख्या में संलग्न है। बाल श्रमिकों मे से केवल 50 बाल श्रमिको को सौ देश्य प्रद्वति से चुनकर उनका वैयक्तित्व अध्ययन'' साक्षात्कार अनुसूची'' उपकरण द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए प्राथमिक तथ्य सकंलित करके सांख्यकीय प्रद्वति की विश्लेषण प्रणाली द्वारा निर्वचन करके तार्किक निष्कर्ष उद्घटित किये गये।

तथ्यो का संकलन : विश्लेषण एवं निर्वचन

तालिका संख्या – 1

जातीय सरचंना

जति	बाल श्रमिको की संख्या	प्रतिशत
स्वर्ण जाति	08	16.00
पिछड़ी जाति	24	48.00
अनुसूचित जाति	18	36.00
योग	**50**	**100.00**

तालिका संख्या – 2

पारिवारिक सरंचना

परिवार का स्वरूप	बाल श्रमिको की संख्या	प्रतिशत
संयुक्त परिवार	09	18.00
एकांकी परिवार	41	82.00
योग	**50**	**100.00**

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation
RNI No.UPBIL/2016/67980
Vol-I* Issue-VI*September - 2016

तालिका संख्या 1 जातीय सरचंना मे स्पष्ट है कि सर्वाधिक बाल श्रमिक पिछड़ी जाति 24 (48 प्रतिशत) से है तथा अनुसूचित जाति से 18 (36 प्रतिशत) बाल श्रमिक है।

तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित बाल श्रमिक एकांकी परिवारो से 41 (82 प्रतिशत) तथा संयुक्त परिवारो से 09 (18 प्रतिशत) ज्ञात हुये जिनमे माता पिता दोनो मजदूरी करते है परिवार बड़ा होना (सर्वेक्षित के भाई बहनो का औसत 4 ज्ञात हुआ है) तथा रोजगार की अनिश्चिता से वे अपने दैनिक जीवन की आवश्कयकताओ की पूर्ति भी नहीं कर पाते । ऐसे मे उनका स्पष्ट मत है कि बच्चा दो पैसे कमाकर लायेगा तो घर में काम आयेगे और पढ़कर भी तो उसे मजदूरी ही करनी है।

तालिका संख्या – 3
आयुगत सरचंना

आयु	बाल श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
10 वर्ष से कम	5	10.00
10–12 वर्ष	16	32.00
12–14 वर्ष	29	58.00
योग	**50**	**100.00**

तालिका संख्या – 4
सामाजिक आर्थिक संरचना

आर्थिक आधार	बाल श्रमिको की सरचंना	प्रतिशत
निर्धनता की सीमा रेखा के अन्तर्गत	45	90.00
निर्धनता की सीमा रेखा के ऊपर	05	10.00
योग	**50**	**100.00**

तालिका 3 के अनुसार सबसे अधिक बाल श्रमिक 12 से 14 आयु वर्ग 29 (58 प्रतिशत) पाये गये तथा चिन्तनीय विषय यह है कि 10 वर्ष से कम आयु वर्ग 5 (10 प्रतिशत) के भी बाल श्रमिक श्रम करते हुये पाये गये तालिका संख्या 4 के अनुसार अधिकांशत बाल श्रमिक निर्धनता की सीमा रेखाा के अन्तर्गत 45 (90.00 प्रतिशत) आते है अतः स्पष्ट है कि पारिवारिक निर्धनता बाल श्रम के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है।

तालिका संख्या – 5
शैक्षिक सरचंना

शिक्षा का स्तर	बाल श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	10	20.00
साक्षर	26	52.00
प्राथमिक	14	28.00
योग	**50**	**100.00**

तालिका संख्या – 6
मासिक आय

आय वर्ग (रु0 में)	बाल श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
500–700	8	16.00
700–900	25	50.00
900 से अधिक	17	34.00
योग	**50**	**100.00**

तालिका संख्या 5 शैक्षिक सरंचना के अनुसार साक्षर 26 (52 प्रतिशत) तथा निरक्षर 10 (20 प्रतिशत) बाल श्रमिक पाये गये तथा मात्र 14 (28 प्रतिशत) बाल श्रमिक प्राथमिक विद्यालयो मे अध्ययनरत् पाये गये सुस्पष्ट है कि बाल श्रमिको के माता पिता उन्हे स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजना पसन्द करते है ।

तालिका संख्या 6 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक बाल श्रमिक 700 से 900 आय वर्ग 25 (50 प्रतिशत) आते है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि बाल श्रमिको को जो आय प्राप्त होती है वह उनके किये कार्य की तुलना में बहुत कम होती है इसी लिए मालिक बाल श्रमिको को रखना ज्यादा पसन्द करते है क्योंकि इनके कार्य की अवधि तो व्यस्क मजदूरों जितनी ही होती है लेकिन इन्हे वेतन व्यस्क मजदूर से बहुत कम देना पड़ता है।

तालिका संख्या – 7
कार्यकारी दशाऐ

दशाऐ	बाल श्रमिको की संख्या	प्रतिशत
अत्यन्त दयनीय	06	12.00
दयनीय	36	72.00
सामान्य	08	16.00
योग	**50**	**100.00**

तालिका संख्या – 8
सामाजिक बुराईया

बुराईयाँ	बाल श्रमिको की संख्या	प्रतिशत
धुम्रपान करने वाले	14	28.00
तम्बाकू गुटका सेवन करने वाले	24	48.00
अन्य नशा करने वाले	04	16.00
नशा न करने वाले	04	08.00
योग	**50**	**100.00**

तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश बाल श्रमिक 36 (72 प्रतिशत) दयनीय कार्यकारी दशाओ मे कार्य करते है उनके कार्य के घण्टे अनिश्चित रहते है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियो में कार्य करते है आवश्यक सुविधाऐ प्रदान न करके,बेहतर कार्यकारी दशाऐ उलपब्ध न कराकर उद्योग मालिक तथा ठेकेदार अपने निहित स्वार्थ के लिए बाल श्रमिको का खुला शोषण व उत्पीड़न करते है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों में कार्य करने तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अधिकांश बाल श्रमिक कुपोषण, धूल व धुए में कार्य करने से क्षय रोग तथा दमा आखों के रोग, जैसी स्वास्थ्य समस्याओ के ग्रसित पाये गये बाल श्रमिकों में अशिक्षा एव सामाजिक नियन्त्रण के अभाव मे सामाजिक बुराईयो का विश्लेषण भी किया गया जो कि तालिका 8 से स्पष्ट है कि बाल श्रमिको में 14 (28 प्रतिशत) बाल श्रमिक धुम्रपान करते है, 24 (48 प्रतिशत) तम्बाकू गुटका, खैनी का सेवन करते है इसके अलावा कुसंगति मधपान चोरी चारित्रिक पतन तथा अनैतिकता भी देखने को मिलती है, 04 (8 प्रतिशत) बाल श्रमिक नशा न करने वाले पाये गये जो किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करते है लेकिन वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव जीवन पर पड़ता है इसीलिए

P: ISSN NO.: 2394-0344 **Remarking An Analisation**
E: ISSN NO.: 2455-0817 RNI No.UPBIL/2016/67980 Vol-I* Issue-VI*September - 2016

अधिक समय तक उनका इन कुरीतियो से बच पाना सभंव नजर नही आता है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण

परिकल्पना न0 1

सत्य एवं सार्थक पायी गयी है कि परिवार में व्याप्त निर्धनता बाल श्रम हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक है।

परिकल्पना न0 2

सत्य एवं सार्थक पायी गयी है कि बाल श्रम शिक्षा में बाधक है।

परिकल्पना न0 3

सत्य एवं सार्थक पायी गयी कि परिजन बालकों को स्कूल के बजाय काम पर भेजना पसंद करते है।

परिकल्पना न0 4

सत्य एवं सार्थक पायी गयी कि उद्योगों के मालिकों तथा ठेकेदारी प्रथा के कारण बाल श्रमिकों का खुला शोषण व उत्पीड़न होता है।

परिकल्पना न0 5

सत्य एवं सार्थक पायी गयी कि प्रदूषित पर्यावरण में काम करने के कारण अधिकांश बाल श्रमिक विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते है।

परिकल्पना न0 6

सत्य एवं सार्थक पायी गयी कि बाल श्रम व्यक्तिगत विघटन को जन्म देकर व्यक्गित के सर्वागीण विकास में बाधक है।

परिकल्पना न0 7

सत्य एवं सार्थक पायी गयी है कि बाल श्रम दबे छिपे लिया जा रहा है जिससे बाल श्रमिक उन्मूलन अधिनियम निरर्थक साबित हो रहे है।

बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु शासन तथा स्वैच्छिक संगठनो की भूमिका

बाल श्रम को रोकने तथा बच्चो को शारीरिक तथा मानसिक विकास हेतु हमारे देश के संविधान नीति निर्दशक तत्वो में निम्नलिखित उपबन्ध किये गये है

1. अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को किसी, फैक्ट्री खनन कार्य या किसी जोखिम वाले कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता ।
2. अनुच्छेद 19 के अनुसार राज्य अपनी नीतिया इस तरह निर्धारित करेगें कि श्रमिकों, पुरूषो तथा महिलाओ का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रख सके और बच्चो की उम्र का शोषण न हो तथा वो अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम को आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए प्रवेश न करें।
3. अनुच्छेद 15 द्वारा सरकार को बालको के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
4. अनुच्छेद 39 के अनुसार बच्चो को स्वास्थ्य तरीके से स्वतन्त्र व सम्मान जनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाऐ दी जायेगी तथा उनका बचपन व युवावस्था शोषण तथा मौलिक परित्याग से सुरक्षित हो।
5. अनुच्छेद 23 के अनुसार बालको के क्रय – विक्रय एवं उनके द्वारा गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य करने पर रोक लगाता है, इसके अलावा फैक्ट्री अधिनियम 1948, बाल रोजगार संशोधित अधिनियम 1951, खदान अधिनियत 1952, बीडी एवं सिगार मजदूर अधिनियम 1966 बाल रोजगार अधिनियम 1978, सन् 1986 में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिये बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 बनाया गया इस विधेयक में अगले दस वर्शो में बाल मजदूरी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। जनवरी 1999 तथा मई 2002 में विभिन्न प्रति बंधित व्यवसायो और प्रक्रियाओ की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 15 और 57 कर दी गयी बाल न्याय अधिनियम 2002, शिक्षा का अधिकार 2005,बच्चो को मौलिक अधिकार 2008, घरेलू मजदूरी अधिनियम 2011 आदि पारित किये गये है। साथ बहुत सी स्वयसेवी संस्थाऐ बच्चो को बाल श्रम से रोकने तथा पुनर्वास के लिए कार्य कर रही है।

खुर्जा में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनो द्वारा पिछले वर्षो में बाल श्रमिको को चिन्हित कर उनका पुनर्वास कराया गया तथा सेवायोजिको के विरूद्ध श्रम विभाग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो के क्रम में जुर्माना लगाया गया । परन्तु इस सब के बावजूद सर्वेक्षिक ने स्वयं बड़ी संख्या में बाल श्रमिको को विभिन्न इकाइयों में कार्यरत पाया। सरकार गैर सरकारी संगठन अधिकारों की कमी, व्याप्त भ्रष्टाचार, पुर्नवास के लिए धन का अभाव जैसे तर्को की आड़ में अपना बचाव करते पाये गये।

निष्कर्ष

पारिवारिक निर्धनता बाल श्रम का एक प्रमुख कारण है, सरकार को लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे गरीबी व बेरोजगारी दूर करने में मदद मिल सकें।

शिक्षा की व्यक्गित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकार द्वारा निःशुल्क प्राथमिक षिक्षा एवं मिड् डे मिल की योजना लागू तो कर दी है, लेकिन इनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अतः सरकार को इस सन्दर्भ में कठोर कदम उठाने चाहिए।

अधिकांश बाल श्रमिको को आर्थिक दबाब में अपना तथा अपने परिवार वालो का पेट पालना आवश्यक है इसीलिए बेसिक शिक्षा का आदर्श वाक्य '' **पहले पढ़ो और फिर कमाओ''** होना चाहिए।

खतरनाक परिस्थितियो में कार्यरत बाल श्रमिको को चिन्हित कर उनके पुनर्वास के ठोस उपाय किये जाये।

स्वयं सेवी संगठनो का अधिकाधिक सक्रिय रूप से सहयोग प्राप्त किया जाय।

अब तक के प्रयासो से स्पष्ट है कि बाल श्रम तुरन्त बन्द नहीं किया जा सकता हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए, जिससे बच्चो का शोषण रूके उनकी कार्यकारी दशाए सुधरे, काम के घण्टे, अवकाश, ठेकेदारी प्रथा का उन्मूलन आदि सुनिष्चित किया जा सकें।

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation
RNI No.UPBIL/2016/67980
Vol-I* Issue-VI*September - 2016

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा0 राम आहुजा : भारत में बाल श्रम ,रावत प्रकाशन जयपुर।
2. डा0 एन0 एन0 ओझा :भारत की सामाजिक समस्याऐं, कानिकल पब्लिकेशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली ।
3. डा0 सुभाष कश्यप : भारतीय संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली।
4. डा0 एस0 के ओझा : वर्तमान भारत में सामाजिक समस्याऐं 2010 , एक्मे पब्लिकेशन ।
5. सक्सेना : श्रम समस्याये एवं सामाजिक सुरक्षा,रस्तोगी प्रकाशन ।
6. योजना : योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली ।
7. डा0 आकांक्षा वर्माः बाल श्रम : समस्या और समाधान (शोध पत्र) 2011 मंगलम् सेवा समिति, इलाहाबाद ।
8. स्वयं का सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष ।